कार्यालय–वन प्रमण्डल पदाधिकारी,सारण वन प्रमण्डल,छपरा

पत्रांक– 2248 दिनांक– 1/8/12

प्रेषक,

डा0 के0 गणेश कुमार,भा0व0से0
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,छपरा

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार पटना।

विषयः– आरा मिल स्वामियों को अपना पक्ष रखने हेतु अन्तिम अवसर देने संबंधी सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत सारण वन प्रमण्डल,छपरा के अन्तर्गत संचालित आरा मिलों के लिए जिन्होंने वर्ष 2012 के लिए अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण कई स्मारों के बावजूद अबतक नहीं कराया है।

अतः दिनांक–**17.8.2012** को अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण वन प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होने हेतु एक **अन्तिम अवसर** दी गयी है। उसे इस पत्र के साथ संलग्न सूचना का प्रकाशन निम्नवत लिखे समाचार पत्रों में करने की कृपा की जाय।

1. हिदुस्तान
2. दैनिक जागरण
3. आज
4. प्रभात खबर एवं अन्य

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/- 1/8/12

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण वन प्रमण्डल,छपरा

नोटिश

सारण एवं वैशाली जिला के उन अनुज्ञप्तिधारी आरा मिलों के लिए जिन्होंने वर्ष 2012 के लिए अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण अबतक नहीं कराया है।

दिनांक–**14,15,25,26-6-2012** एवं **21-7-2012** को स्वंय या प्रतिनिधि के माध्यम से अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी,सारण वन प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया था। परन्तु आप निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए।

इसलिए आपको पुनः इस नोटिश के माध्यम से एक **अन्तिम अवसर** प्रदान किया जाता है कि दिनांक–**17-8-2012** को अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी,सारण वन प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आप के आरा मिल की अनुज्ञप्ति **प्रतिसंहृत (REVOKE)** कर दिया जा सकता है।

सारण जिला

कम सं0	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	अनुज्ञप्ति सं0
1	श्री शेख मंसुर पिता–मो0–शेख खलील, डेरनी सुतिहार सारण	31/98
2	श्री राम कुमार शर्मा पिता–श्री आनन्द शर्मा चकहन इसुआपुर, सारण।	305/96
3	श्री कृष्ण शर्मा पिता–श्री रामभरोसा शर्मा सजनोपुर दिघवारा सारण।	44/98
4	श्री दारोगा सिंह पिता–स्व0 शिवजी सिंह ताजपुर माझी, सारण	307/96

वैशाली जिला

1	श्री जवाहरलाल प्रसाद,पिता–श्री नगीना प्रसाद, ऐकारा हाजीपुर	91/93
2	श्री योगेन्द्र शर्मा पिता–श्री जामुन शर्मा, अगरपुर लालगंज वैशाली	137/96

अगर इसके बाद भी आप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अनुज्ञप्ति के निरस्त करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो बाध्य होकर आपके विरुद्ध बिहार काष्ठ चिरान अधिनियम 1990 के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसे अत्यावश्यक समझे।

अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण वन प्रमण्डल, छपरा